



2026:AHC: 179025

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5423 वर्ष 2025

एक्स अवयस्क

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: धीरज कुमार पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या- 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

1. सूची दोहराई गई। राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को छोड़कर, विपक्षी संख्या 2 और 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण पुनरीक्षणवादी द्वारा अपने नैसर्गिक संरक्षक के माध्यम से किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 जिसे इसके पश्चात जे.जे. अधिनियम, 2015 कहा गया है की धारा 102 के अंतर्गत वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश, किशोर न्यायालय, न्यायालय संख्या 13, सहारनपुर, जिला सहारनपुर द्वारा आपराधिक अपील संख्या 14 वर्ष 2025, एक्स पुत्र सनावर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.06.2025 को अपास्त करने के साथ-साथ किशोर बोर्ड सहारनपुर द्वारा जमानत आवेदन संख्या 3 वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एक्स पुत्र सनावर में पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जो थाना देवबंद, जिला सहारनपुर में भा.द.सं. की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5एम/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 75 वर्ष 2024 से उत्पन्न हुआ है और यह आगे प्रार्थना की गई है कि पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

4. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, वह निर्दोष है और उसे 11 वर्षीय पीड़िता के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के लिए झूठा फंसाया गया है। पुनरीक्षणवादी की आयु लगभग 17 वर्ष है और वह 19.02.2024 से संप्रेक्षण गृह में है। जिला परीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में वर्तमान अपचारी के प्रतिकूल कुछ भी नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है। विद्वान जे.जे. बोर्ड ने जमानत आवेदन तय करते समय इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया और विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपील को खारिज करते समय अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार नहीं किया जिसे विधिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपचारी 19.02.2024 से किशोर बाल गृह में है और उसका मनोविज्ञान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया।

6. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, पीड़िता और अपचारी की आयु, निरोध की अवधि अर्थात् ढाई वर्ष और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों तथा डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि जे.जे. बोर्ड के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया है बल्कि अपना न्यायिक विवेक लगाए बिना आदेश पारित किया है। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2025 एतद्वारा अपास्त किए जाते हैं और वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

8. यह निर्देश दिया जाता है कि **सनावर के पुत्र एक्स अवयस्क** को पुनरीक्षणवादी अपचारी के विधिक संरक्षक द्वारा एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रत्येक संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणवादी को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक, या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसके अतिरिक्त पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक इस आशय का एक और वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन करेगा जिसके लिए उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अतिरिक्त प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणवादी/नैसर्गिक संरक्षक प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा जो संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

24 अगस्त, 2026

टी.एस.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”